अनुदान संख्या 94 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 94 – MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*				
मूल	*Original*	*2822,07,00*	*2828,94,00*	*2776,40,95*	*-52,53,05*
पूरक	*Supplementary*	*6,87,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*52,53,24*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	328,30,00	328,34,00	305,45,54	-22,88,46
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,81,85
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		70,00,00	69,99,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹5253.05 लाख*) अगस्त, 2010 और मार्च 2011 में प्राप्त किए गए *₹687.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत *विनियोग* का 2 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (*₹5253.24 लाख*) भी कुल बचतों से अधिक हो गईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(₹5253.05 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹687.00 lakhs* obtained in August, 2010 and March, 2011 and constituted 2 percent of the total sanctioned *appropriation.* Amount surrendered *(₹5253.24 lakhs*) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*282207.00*			
पू.	*S.*	*687.00*	*277640.76*	*277640.95*	*+0.19*
पु.	*R.*	*-5253.24*			

(I) *₹64.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation of ₹64.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

(II) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान - जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीम" के अंतर्गत *₹96050.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹686.50 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹96736.50 लाख* कर दिया गया तथापि, *₹3563.73 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) कुछ राज्यों द्वारा वास्तविक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Grants for State Plan Schemes - Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution-Scheme under Tribal Sub Plan" – the original *appropriation of ₹96050.00 lakhs* was augmented to *₹96736.50 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹686.50 lakhs.* However, there was a saving *of ₹3563.73 lakhs* (including supplementary *appropriation*) –due to non-submission of proposals along-with physical financial progress report by some of the States and re-appropriation of funds for creation of Capital Assets.

(III) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत स्कीम" के अंतर्गत *₹4612.09 लाख* की बचत (*₹0.50 लाख* के सांकेतिक पूरक *विनियोग* सहित *₹104600.50 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) प्रगति रिपोर्ट/उपयोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत न करने और पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under "Grants for State Plan Schemes - Scheme under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" – saving of *₹4612.09 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation of ₹104600.50 lakhs* including token supplementary *appropriation* of *₹0.50 lakh*) was due to non-submission of progress report/utilisation certificates and non-receipt of complete/ adequate number of proposals.

(IV) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बुक स्कीम और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" के

(IV) Under "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes – Education -Scheme of PMS Book and upgradation of Merit of ST

अंतर्गत *₹127.62 लाख* की बचत (*₹200.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(V) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना'' - *₹1000.00 लाख* की बचत (*₹7500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(खा) ''अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य'' - *₹793.79 लाख* की बचत (*₹1200.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा *विनियोग* को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (*₹4908.21 लाख*) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - विशेष रूप से दुर्बल जनजाति समूह का विकास'' के अंतर्गत *₹687.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय *₹4908.18 लाख* था।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ : -

Students"- saving of *₹127.62 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹200.00 lakhs*);

(V) Under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Welfare of Scheduled Tribes-Education"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Establishment of Ashram School in Tribal Sub Plan Areas"- saving of *₹1000.00 lakhs (*against the sanctioned *appropriation* of *₹7500.00 lakhs)*; and

(B) "Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others"- saving of *₹793.79 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1200.00 lakhs*).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of complete/adequate number of proposals from the State Governments.

2. The above savings were partly *(₹4908.21 lakhs)* utilised for augmenting the *appropriation* by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary *appropriation* of *₹687.00 lakhs* under "Grants for Central Plan Schemes-Welfare of Scheduled Tribes– Education - Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs)". Actual excess, however, was *₹4908.18 lakhs.*

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	19759.00			
पू.	S.	2.00	19433.52	19241.21	-192.31
पु.	R.	-327.48			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12000.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	- 12002.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	10215.70	10215.70	10215.70	..

(I) ₹12064.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; इनमें से ₹11802.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" -"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹12064.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹11802.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"-"Welfare of Scheduled Tribes-Education"- under the following heads :-

(का) "कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - ₹1301.00 लाख (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service" – ₹1301.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2011);

(खा) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बुक बैंक स्कीम और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - ₹8800.00 लाख;

(B) "Scheme of PMS Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – ₹8800.00 lakhs;

(गा) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम" - ₹1000.00 लाख;

(घा) "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - ₹300.00 लाख; और

(ङ) "विशेष रूप से दुर्बल जनजाति समूह का विकास" - ₹401.00 लाख (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" -"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "शिक्षा" -

(क) "कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी संगठनों का सहायता अनुदान" - ₹297.26 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चयन प्रक्रिया के साथ पूर्ण प्रस्तावों की कमी के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति"- ₹1131.78 लाख की बचत (₹7200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य" - ₹365.50 लाख की बचत (₹737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित दिशा-निर्देशों की वजह से पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के

(C) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys"– ₹1000.00 lakhs;

(D) "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students" – ₹300.00 lakhs; and

(E) "Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs)" – ₹401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2010).

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225" –"Welfare of Scheduled Tribes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Education" –

(a) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" – saving of ₹297.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to lack of complete proposals with selection procedure.

(b) "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students" – saving of ₹1131.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7200.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals and less demand from University Grants Commission.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others" – saving of ₹365.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹737.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals owing to revised

प्राप्त न होने और आगामी उत्कृष्टता केन्द्र के चयन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''निगरानी और मूल्यांकन'' - ₹162.88 लाख की बचत (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹200.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण और संविधान के अनुच्छेद 275(1) पर अध्ययन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'' - ₹243.98 लाख की बचत ₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुजरात तथा मध्य प्रदेश से पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) ''जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण'' - ₹212.56 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹300.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा असम से पूर्ण/पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने और कुछ राज्यों में चुनाव होने की वजह से आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹148.94 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 70 प्रतिशत थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2062.44 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''आर्थिक विकास - जनजातीय उत्पादों/उत्पादन का बाजार विकास'' - ₹253.00 लाख।

guidelines and non-finalisation of selection of the forth Centre of Excellence.

(b) "Monitoring and Evaluation" – saving of ₹162.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹200.50 lakhs including token supplementary of ₹0.50 lakh obtained in March, 2011) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals and non-finalisation of study on Article 275(1) of the Constitution.

(c) "Strengthening of Education among ST Girls in Low Literacy Districts" – saving of ₹243.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals from Gujarat and Madhya Pradesh.

(d) "Vocational Training in Tribal Areas" – saving of ₹212.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹300.50 lakhs including token supplementary of ₹0.50 lakh obtained in August, 2010) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals from Madhya Pradesh, Karnataka and Assam and implementation of code of conduct owing to elections in some States.

(III) Under two heads savings of ₹148.94 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 13 percent and 70 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (₹2062.44 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2225"- "Welfare of Scheduled Tribes"- under the following heads :-

(A) "Economic Development - Market Development of Tribal Products/Produce"- ₹253.00 lakhs.

(खा) "शिक्षा - उत्कृष्ट/उच्चकोटि के शिक्षा संस्थानों की स्कीम"- ₹249.52 लाख।

(B) "Education - Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education" – ₹249.52 lakhs.

(गा) "अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - ₹1559.92 लाख।

(C) "Other Expenditure - Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service" – ₹1559.92 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - विशेष रूप से दुर्बल जनजाति समूह का विकास" - ₹315.70 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes – Education - Development of Particularly Vulnerable Tribal Group (PTGs)" – excess of ₹315.70 lakhs (against nil provision);

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes - Education"-

(क) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बुक बैंक स्कीम और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - ₹8800.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Scheme of PMS Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students"- excess of ₹8800.00 lakhs (against nil provision) ; and

(ख) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम" - ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys"- excess of ₹1000.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जहां संपूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग से पूरा किया गया।

(III) Under one head excess of ₹100.00 lakhs occurred, where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.